

अंकुर



126 वाँ अंक

अप्रैल 2022 से सितंबर 2022

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ - 160017





कुर्सियों पर बाएं से:

श्री राकेश रंजन मिश्रा (हिन्दी अधिकारी), श्री शीशराम वर्मा (उप महालेखाकार),
श्री तेग सिंह (महालेखाकार), श्री नरेश कुमार कौड़ा (वरिष्ठ लेखा अधिकारी)

खड़े हुए बाएं से:

सुश्री कविता शर्मा (कनिष्ठ अनुवादक), श्री अंकित कुमार (कनिष्ठ अनुवादक)



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



अंकुर

126 वाँ अंक अप्रैल 2022 से सितंबर 2022

राजभाषा कार्यान्वयन समिति
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ - 160017

प्रकाशन विवरण

मुख्य संरक्षक	: श्री तेग सिंह महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ – 160017
संरक्षक	: श्री शीशाराम वर्मा उप महालेखाकार (प्रशासन)
मुख्य संपादक	: श्री नरेश कुमार कौड़ा वरिष्ठ लेखा अधिकारी
संपादक	: श्री राकेश रंजन मिश्रा हिन्दी अधिकारी
संपादन सहयोग	: श्री अंकित कुमार कनिष्ठ अनुवादक सुश्री कविता शर्मा कनिष्ठ अनुवादक श्री मनीष कुमार कनिष्ठ अनुवादक
मुख पृष्ठ	: अमृतसर में स्थित स्वर्ण मन्दिर (सौजन्य – इंटरनेट)
अंक	: 126 वाँ अंक
प्रकाशक	: राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ – 160017
मूल्य	: राजभाषा के प्रति निष्ठा।
मुद्रक	: कैपिटल ग्राफिक्स एस.सी.ओ. 133-135, सैक्टर 17-सी, चण्डीगढ़।

नोट: रचनाकारों के विचारों से सम्पादक मण्डल की सहमति आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अनुक्रमणिका

प्रकाशन विवरण	2
अनुक्रमणिका	3
गृह एवं सहकारिता मंत्री का संदेश	4—5
संदेश	6—10
मुख्य संरक्षक का संदेश	11
संरक्षक का संदेश	12
संपादकीय	13

आलेख

मन की शांति	राजीव कुमार बंसल	15
राजभाषा हिंदी : एक परिचय	राकेश रंजन मिश्रा	16—18
संकुचित होती परिवार की अवधारणा	गणेश कुमार मीना	19—20
स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका	कविता शर्मा	21—22

कविता

फिर भी हिम्मत कुछ यूँ है मुझमें...	अंकित कुमार	28
अनमोल जीवन	गणेश कुमार मीना	29
एक था कोविड	विनय कुमार गर्ग	30
दीपावली के दीये	आशीष देवगण	31
पीठ पे तेरी बस्ता हो	मनीष कुमार	32
नारी का सम्मान	एकता	33
राहों में सुकूँ मिल ही जाएगा	अंकित कुमार	34

कहानी

कॉलेज के दोस्त: एक मुलाकात 30 साल बाद	आशीष देवगण	36—37
---------------------------------------	------------	-------

कार्यालयीन समाचार

खेल समाचार एवं अन्य गतिविधियाँ	38—39
नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ एवं सेवानिवृत्तियाँ	40—41

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो !

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। 'स्वराज' प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नये संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विगत तीन वर्षों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन की गति तीव्र करने और समय समय पर किए गए कार्यों की समीक्षा हेतु मई, 2019 में नई सरकार के गठन के पश्चात 57 मंत्रालयों में से 53 में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देश भर में विभिन्न शहरों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से अब तक कुल 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है। विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन को और मजबूत करने की दिशा में संसदीय राजभाषा समिति अपनी सिफारिशों के दस खंड माननीय राष्ट्रपति जी को

प्रस्तुत कर चुकी है तथा 11 वां खंड शीघ्र ही सौंपा जा रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा 13-14 नवंबर, 2021 को बनारस में पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन तथा नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए पहला तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों से हिंदी प्रेमियों के उत्साह में अपार वृद्धि हुई है। यह और भी सुखद है कि हिंदी दिवस-2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन गुजरात के सूरत शहर में हो रहा है।

गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है जिसमें आज लगभग 22 लाख वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। इस टूल का प्रयोग सुनिश्चित कर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की गति एवं गुणवत्ता बढ़ाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जन-साधारण के लिए 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जिसे अपनाकर 14 विभिन्न भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषाओं से निःशुल्क हिंदी सीख सकते हैं। राजभाषा विभाग के 'ई-महाशब्दकोश' में 90 हजार शब्द सम्मिलित किए गए हैं और 'ई-सरल' हिंदी वाक्यकोश में 9 हजार वाक्य शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति मिली जिसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को प्राथमिकता दी जा रही है। राजभाषा विभाग ने अमृत महोत्सव के अवसर पर विधि, तकनीकी, स्वास्थ्य, पत्रकारिता तथा व्यवसाय आदि सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी से हिंदी 'बृहत शब्दकोश' के निर्माण पर भी काम शुरू किया है और सुलभ संदर्भ के लिए एक अच्छे शब्दकोश का सृजन किया जा रहा है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्रहण करने में भाषा की जानकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही है। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी हैं, यहीं पुष्पित पल्लवित हुई हैं और जिन्होंने अपनी शब्द-संपदा, भाव संपदा, रूप, शैली और अपने पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। **राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।**

प्रिय देशवासियो ! हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप और हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी भाषाओं पर गर्व की अनुभूति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश-विदेश के मंचों पर हिंदी में उद्बोधन देते हैं जिससे सभी हिंदी प्रेमियों में उत्साह का संचार होता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभाशाली नेतृत्व में आने वाले 25 वर्षों को देश में अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में भाषाई समरसता को ध्यान में रखते हुए हिंदी तथा हमारी सभी भारतीय भाषाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

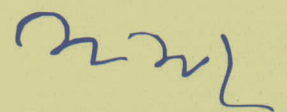
आइये, आज संकल्प लें कि अपने दैनिक कार्यों में, कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिंद!

नई दिल्ली

14 सितंबर, 2022



(अमित शाह)



संजीव गोयल

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय),

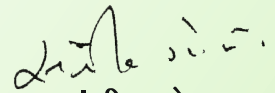
चंडीगढ़



संदेश

मुझे यह जानकारी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "अंकुर" के 126 वें अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। इसके लिए पत्रिका परिवार के सभी सदस्य एवं रचनाकार बधाई के पात्र हैं। यह पत्रिका हमें आपके कार्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों एवं विभागीय क्रियाकलापों से अवगत करवाती रहेगी, साथ ही हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी विशिष्टता को कायम रखेगी।

राजभाषा हिंदी जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी रही है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान इसका रहा है कि हिंदी बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को अपने में सम्मिलित करती रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी के हर शब्द के दो से भी अधिक समानार्थक शब्द मिलते हैं। हिंदी को और आगे बढ़ाना है एवं और ज्यादा स्वीकार्यता बढ़ानी है तो उसके लिए हिंदी को और अधिक व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है अर्थात् ज्यादा कठिन शब्दों को त्यागकर अन्य प्रचलित भाषाओं खासकर क्षेत्रीय भाषाओं के अधिक शब्दों को ग्रहण करके ही हिंदी और आगे बढ़ सकती है। इसलिए मेरी कामना है कि यह पत्रिका भी ऐसे मिली-जुली भाषाओं के लेखों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेगी।


संजीव गोयल



नवनीत गुप्ता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हरियाणा



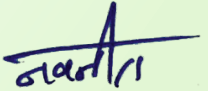
संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपके कार्यालय की विभागीय हिंदी पत्रिका 'अंकुर' के 126 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि पत्रिका का यह अंक भी राजभाषा की प्रगति में और अधिक सहायक सिद्ध होगा और हिंदी भाषा के सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए पत्रिका एक सशक्त माध्यम है। हिंदी पत्रिका कार्यालय के सदस्यों के हिंदी प्रेम का प्रतीक होती है। पत्रिका कार्मिकों की रचनात्मक व सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने व अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही यह वर्षभर कार्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को भी प्रदर्शित करती है।

हिंदी हमारी राजभाषा है जो राष्ट्र को एकसूत्र में पिरोने का कार्य करती है। यह हमारी गौरवशाली व वैभवशाली संस्कृति की वाहक है। आज हर क्षेत्र में हिंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में हिंदी मात्र प्रशासन की ही भाषा नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा भी बन गई है। विश्वभर में दिन-प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। राजभाषा के प्रति पूर्ण निष्ठा तथा समर्पण रखना हमारा नैतिक व संवैधानिक दायित्व है।

पत्रिका के निरंतर सफल प्रकाशन, उत्तरोत्तर प्रगति तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।


नवनीत गुप्ता



शैलेन्द्र विक्रम सिंह

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी), हरियाणा



संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चंडीगढ़ की हिंदी पत्रिका "अंकुर" के 126 वें अंक का प्रकाशन होने जा रहा है। विभागीय पत्रिकाएं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा विभिन्न कार्यालयों में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराती हैं।

हिंदी हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक होने के साथ-साथ राजभाषा भी है, इसलिए हम दोनों भूमिकाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। हिंदी न केवल आम आदमी की भाषा है बल्कि विज्ञान, उद्योग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। आज हर क्षेत्र में एक भाषा के रूप में हिंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

शैलेन्द्र विक्रम सिंह
शैलेन्द्र विक्रम सिंह



नाज़ली जे. शाईन

प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा), पंजाब



संदेश

मुझे यह जानकर अति हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका "अंकुर" का 126 वाँ अंक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं पत्रिका से जुड़े सभी रचनाकारों तथा संपादक-मंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देती हूँ जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप पत्रिका यहाँ तक पहुँचने में समर्थ हुई है।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है बल्कि, यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक एवं परिचायक भी है। इनके माध्यम से ही विभागीय प्रतिभाएं सामने आती हैं तथा सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। इसके साथ-साथ कार्यालय की प्रत्येक गतिविधि का विवरण भी इन पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश में प्रेषित होता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "अंकुर" पत्रिका का यह अंक भी अपने पूर्व अंकों की भांति अपने उद्देश्य में सफल होगा।

नाज़ली जे. शाईन



वी.एस.वेंकटनाथन

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़

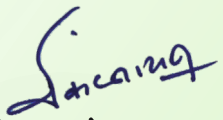


संदेश

यह हर्ष का विषय है कि आपके कार्यालय द्वारा हिंदी पत्रिका 'अंकुर' के 126 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में हिंदी पत्रिकाओं का अतुल्य योगदान रहा है। हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने भाव तथा विचार हिंदी भाषा में प्रकट करने का अवसर मिलता है। आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'अंकुर' भी इसी दिशा में प्रयासरत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आशा है कि पत्रिका का यह अंक भी पूर्व के अंकों की भांति पाठकों के ज्ञानवर्धन एवं राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध होगा। पत्रिका संपादन एवं प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का अथक परिश्रम प्रशंसा के योग्य है।

पत्रिका के सफल संपादन एवं प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं।


वी.एस.वेंकटनाथन



तेग सिंह

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़



मुख्य संरक्षक का संदेश

"अंकुर" पत्रिका का 126 वाँ अंक आपको सौंपते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। हिंदी भाषा को फलीभूत करने के लिए "अंकुर" पत्रिका एक छोटा सा कदम है।

"अंकुर" पत्रिका राजभाषा के प्रति एक सकारात्मक प्रयास है। राजभाषा हिंदी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यालय स्तर पर हिंदी के लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह पत्रिकाओं का अमूल्य योगदान है। "अंकुर" पत्रिका के माध्यम से कार्यालय के कर्मचारियों को अपने सृजनशील कौशल एवं मनोभावों को अपनी राजभाषा में व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

"अंकुर" पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए मैं संपादक मंडल और रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि "अंकुर" पत्रिका प्रत्येक वर्ष सफल रूप से प्रकाशित होती रहे।

तेग सिंह



शीशराम वर्मा

उप महालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय महालेखाकार (ले. व हक.)
पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़

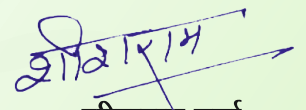


संरक्षक का संदेश

एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की वाहक भी है। विभागीय पत्रिकायें कार्यालय के कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति एक सकारात्मक वातावरण बनाती हैं और कार्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों से सभी को अवगत कराती हैं।

पत्रिका के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी सृजनात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभा को उजागर करने का अवसर मिलता है। विभागीय पत्रिकायें राजभाषा हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुई हैं।

“अंकुर” पत्रिका के सभी रचनाकारों और संपादक मंडल को साधुवाद। “अंकुर” पत्रिका का यह अंक भी कार्मिकों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ “अंकुर” पत्रिका का 126 वाँ अंक मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।


शीशराम वर्मा



संपादकीय

स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 'भारत' का निर्माण करने में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 'हिंदी' राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक है। हमें सुनिश्चित करना है कि प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के माध्यम से राजभाषा हिंदी का विकास तेजी से हो।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि हमारे समाज और संस्कृति से जुड़ी धरोहर है। हमें राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए और शासकीय कामकाज में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। आज देखा जा सकता है कि मीडिया के रथ पर सवार होकर हिंदी भाषा विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रही है। तकनीकी के साथ हिंदी भाषा का समन्वय इसके विस्तार का द्योतक है। सूरत में आयोजित 'हिंदी दिवस समारोह एवं दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन' में माननीय गृहमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा डिजिटल हिंदी शब्दकोष हिंदी शब्द सिंधु संस्करण-1 और अनुवाद टूल 'कंठस्थ-2.0' का लोकार्पण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार, इस भाषा की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है।

कार्यालयीन पत्रिका 'अंकुर' का एक नूतन अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें समाहित रचनाएं तथा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ इसकी प्रगति को दर्शाती हैं। आशा है 'अंकुर' पत्रिका का यह अंक पाठकों को रुचिकर लगेगा।

शुभकामनाओं सहित।

राकेश रंजन मिश्रा
हिंदी अधिकारी



आलेखा

मन की शांति

राजीव कुमार बंसल

हम सब प्रतिदिन की बातचीत में यही कहते हैं कि मन की शांति चाहिए। मेरे ख्याल से अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है "मन की शांति"। बढ़ती उम्र के साथ-साथ मन की शांति की आवश्यकता और बढ़ जाती है। अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और कठिन से कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोते।



लेकिन मन को शांत रखना भी बहुत कठिन है। इसके लिए सबसे अधिक जरूरी होता है "Acceptance." हमारी मनुष्य प्रवृत्ति की यही विडंबना है कि हम हमेशा सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति में बदलाव की अपेक्षा करते हैं। हम खुद में बदलाव नहीं करना चाहते और जब कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम दुखी होते हैं और रिएक्ट करते हैं, जिससे मन की शांति भी भंग होती है और रिश्तों में तनाव भी बढ़ता है।

मन की शांति के लिए हमें बाहरी नहीं, भीतरी बदलाव की आवश्यकता है। यह हमारे ही हाथ में है परंतु इस बात को समझने और मानने में ही बहुत समय निकल जाता है। सबसे पहले हमें खुद पर संयम रखने और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम सामने वाले की बात या फिर किसी परिस्थिति को अच्छे से समझ पायेंगे और बात को सकारात्मक तरीके से लेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण से सब गड़बड़ होगा और हम अपने मन की शांति को भंग कर लेंगे।

आधुनिक युग में बदलती जीवन शैली के साथ मानसिक दबाव भी बढ़ा है। हम लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं और ऊपर से सोशल मीडिया ने भी लोगों की जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। आजकल सहनशीलता कम हो गई है और अहम की भावना हावी हो गई है। पहले के जमाने में लोग कम साधनों में भी खुश रहते थे। उनकी इच्छाएं भी सीमित थी और संसाधन भी सीमित थे। अब बाजार में भी अलग-अलग तरह के संसाधन आ गए हैं और हमारी इच्छाएं भी बढ़ गई हैं। इच्छाएं बढ़ेंगी तो मन का अशांत होना स्वाभाविक है।

"Acceptance" लाने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को योग और ध्यान की तरफ केंद्रित करें एवं नियमित रूप से सैर और व्यायाम करें। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि दिन में एक काम ऐसा अवश्य करें, जिससे हमें खुशी मिलती हो। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। जिन लोगों से मिलने से या फोन करने से आप परेशान होते हैं उनसे मेलजोल कम रखें। भगवान पर भरोसा करना और शुक्रिया अदा करना सीख लें तो रास्ते खुद-ब-खुद आसान हो जाएंगे। खुद को व्यर्थ में दुखी करना छोड़ दें। अगर मन शांत है तो हम कम साधनों में भी खुश रह पाएंगे और शारीरिक वेदना को भी हल्के में लेंगे।

यह मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैंने अपनी जिंदगी से प्रेरित होकर लिखा है।



“हिन्दी भाषा हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का
सरलतम स्रोत है”

- सुमित्रा नन्दन 'पंत'

राजभाषा हिंदी : एक परिचय

राकेश रंजन मिश्रा



भारत संघ की राजभाषा के स्वरूप को व्याख्यायित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति लागू की गई है। राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक तथा सांविधिक प्रावधान किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प—1968, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश शामिल हैं। इसकी मॉनीटरिंग के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संसदीय राजभाषा समिति आदि हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी सलाहकार समिति और केंद्रीय कार्यालयों की राजभाषा समिति की बैठकों के माध्यम से भी केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली महत्वपूर्ण कड़ी भी है। गुरु देव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था — हिंदी के लिए सेवा, लगन और बलिदान की आवश्यकता है। 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और अब तक हिंदी ने न केवल सामाजिक व सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का काम किया है बल्कि युवा पीढ़ी पर चढ़ते अंग्रेजियत के रंग को भी फीका किया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिंदी को विश्व भाषा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भाषा के प्रयोग के सन्दर्भ में देखें तो भारतीय संविधान के भाग—5 में अनुच्छेद 120 व भाग—6 में अनुच्छेद 210 में प्रावधान किया गया है तथापि भाग—17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में संघ की राजभाषा को प्रावधानित किया गया है। भाग—17 में कुल 4 अध्याय हैं — (i) संघ की राजभाषा, (ii) प्रादेशिक भाषाएं, (iii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों अदि की भाषा, और (iv) विशेष निदेश। मुख्यतः, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद—344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति से संबंधित है। अनुच्छेद—344(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति, संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद—344(4) की अनुपालना में गठित समिति में तीस सदस्य होते हैं जिनमें से 20 लोक सभा के सदस्य और 10 राज्य सभा के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद—344 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि खंड(1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 344(6) के अनुसार अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा। अनुच्छेद—345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है तथा अनुच्छेद—346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा से संबंधित है जबकि अनुच्छेद—347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है

तथा भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद-349 में प्रावधानित हैं। अनुच्छेद-350 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। हिंदी भाषा के विकास हेतु अनुच्छेद-351 में निदेशित किया गया है और कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संवैधानिक तथा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न करने के मामलों को संघ की राजभाषा नीति का उल्लंघन माना जाता है। इसके महत्व को देखते हुए एक स्वतंत्र विभाग के तौर पर राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है। राजभाषा विभाग को गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है और इसके लिए अलग से एक पूर्णकालिक सचिव की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से हिंदी की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। कुल मिलाकर, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार एवं सचिव राजभाषा के कुशल नेतृत्व में संघ की राजभाषा नीति को सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी तथा कारगर ढंग से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग की स्थापना की गई है जिसके तहत कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक (अब क्रमशः कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी), सहायक निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) तथा निदेशक (राजभाषा) के पद बनाए गए हैं। भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में भी इसी पैटर्न पर संवर्ग स्थापित करने का निदेश है ताकि यहाँ कार्यरत कर्मियों को भी प्रोन्नति के समान अवसर मिले। संसदीय राजभाषा समिति ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट (छठे खंड) में चर्चा की थी और इस बाबत यह आदेशित किया गया था कि अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी राजभाषा संवर्ग बने। समिति के सातवें खंड में सभी स्तर पर हिंदी पदों की संख्या में वृद्धि की भी सिफारिश की गई थी। छोटे-बड़े कार्यालयों में पद सृजन को लेकर किसी प्रकार का संशय न हो इसके लिए न्यूनतम हिंदी पद सृजित करने के संदर्भ में वर्ष 1981, 1989 और 2004 में कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मानक आदेश परिचालित किए गए हैं। इसके पश्चात, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश भी इस संवर्ग को पोषित करते हैं। ये निर्देश न्यूनतम हिंदी पद के लिए बने हैं और बड़े-बड़े विभागों में इसका निर्धारण वहाँ की व्यवस्था के अनुसार संवर्ग बनाकर किया जाता है। यह एक ऐसा संवर्ग है जो समस्त मंत्रालयों/विभागों में समान रूप से कार्य करता है। अतः इस संवर्ग की संरचना को डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मॉडल रिक्रुटमेंट रूल्स के साथ परिचालित किया गया है। इस प्रकार से सरकार के स्तर पर इस संवर्ग में एकरूपता और पारदर्शिता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और यहाँ तक कि प्रत्येक वर्ष परिचालित होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण आदेशों में भी समान पदनाम एवं वेतनमान के अलोक में निदेश उल्लिखित है।

कार्यालयों में राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन जारी किए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे। हिंदी के प्रचार—प्रसार के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति है। संघ की राजभाषा नीति के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी की उत्तरोत्तर वृद्धि और इसके प्रचार—प्रसार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाती हैं। हिंदी भाषा एवं टंकण आदि के लिए प्रशिक्षण उपरांत वित्तीय पुरस्कार का प्रावधान है। सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों के लिए हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने पर या मौलिक पुस्तक रचना आदि के लिए नियमानुसार नकद पुरस्कार प्रदान करने हेतु प्रावधानित किया गया है। इसी प्रकार, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी दिवस/पखवाड़ा के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके आलावा, राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार—प्रसार के लिए विश्व पटल पर हिंदी सम्मलेन किए जा रहे हैं।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से ही हिंदी को शिखर पर पहुँचाया जा सकता है। भारतीय संविधान में हिंदी को बहुत मजबूती प्रदान की गई है। इसे कागजी योजनाओं से निकालकर कार्यान्वित करते रहना है ताकि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका का विस्तार हो सके।



चूँकि भारतीय एक होकर एक समन्वित संस्कृति का विकास करना चाहते हैं,
इसलिए सभी भारतीयों का यह परम कर्तव्य हो जाता है
कि वे हिंदी को अपनी भाषा समझकर अपनाएं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

संकुचित होती परिवार की अवधारणा

गणेश कुमार मीना



जब मैं चौथी-पांचवी कक्षा में पढ़ता था तब 'सामाजिक-विज्ञान' में "परिवार" की परिभाषा पढ़ी थी। एक बार हमारे अध्यापक श्री अनिल जी ने मुझसे 'परिवार' की परिभाषा पूछी। मैंने वही परिभाषा बोली जी उन्होंने बताई थी, वह थी— "जब एक समूह के रूप में दादा-दादी, नाना-नानी, माता-पिता, चाचा-चाची, मामा-मामी, बुआ-फूफा, भाई-बहन, भतीजे-भतीजी आदि रहते हैं, परिवार कहलाता है।"

उस समय मैंने इस परिभाषा से जो कि रट रखी थी (तोते की तरह), नाना-नानी, मामा-मामी शब्द नहीं बोले, इस पर गुरुजी ने मुर्गा बनाकर पिटाई की थी...हाँ हाँ... आज अचानक से वही बात याद आ गई तो मन किया कि "परिवार" के बारे में कुछ लिखा जाये। अगर परिवार के उस स्वरूप पर गौर फरमाया जाये जो कि बचपन की उस परिभाषा में वर्णित था, वास्तव में वह परिवार का कितना व्यापक स्वरूप है—

15-20 लोग एक साथ रहते थे। एक आदर्शवादी पारिवारिक अनुशासन था, जिसमें बुजुर्ग लोग अपने परिवार के लिए अहम फैसले लेते थे अर्थात् परिवार एक नियामक संस्था के रूप में था तथा बाकी सारे सदस्य उस फैसले को दिल से स्वीकार कर लेते थे। हर स्थिति में बुजुर्गों का फैसला पत्थर की लकीर होता था। सभी लोगों के दिल में एक-दूसरे के लिए मान-सम्मान और इज्जत वाली भावना होती थी। परिवार के सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को निःस्वार्थ और ईमानदारी से निभाते थे।

आज हम अपनी दादी या किसी बुजुर्ग सदस्य से सुनते हैं कि उनके समय में वो सुबह-शाम 15-20 लोगों का खाना अकेले बना देती थी, साथ में घर का काम और आजकल तो शादी तय करते वक्त ही बोल देते हैं हमारी बेटी खाना नहीं बनायेगी, घर का काम जानती नहीं है...एक ही काम जानती है बस... 'बुजुर्गों' को इतनी सारी कहानियाँ याद होती थी कि पूछो ही मत...सीमित संसाधनों में भी सारे लोग तनावमुक्त खुशी से अपना जीवन जीते थे। शायद उनके बीच में कभी छोटी-मोटी समस्या आती होगी तब 15-20 लोगों के बीच उसका समाधान चुटकियों में हो जाता होगा।

उस समय की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी "संस्कार"। बच्चों की प्रथम गुरु माँ तथा प्रथम विद्यालय उसका अपना परिवार ही होता है। ऐसे परिवार में पले-बढ़े बच्चों में समूह में रहना, सम्मान, आदर्शवादी शिक्षा, अनुशासन, निडरता, साहस, अपर्याप्त संसाधनों में जीवनयापन करना, परिवार व समाज के प्रति अपने कर्तव्य आदि गुणों का विकास परिवार में रहते-रहते ही हो जाता था, जो कि उनके जीवन को सार्थक, खुशहाल बनाने के लिए पर्याप्त था।

परिवर्तनशील समाज में समय के साथ-साथ परिवार की परिभाषा व भूमिका बदलती चली गई। आज के समय में परिवार की नाम मात्र की परिभाषा दिखाई पड़ती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं उसकी पत्नी और बच्चे सम्मिलित होते हैं। शहरों में रहने वाले वे लोग जो गाँवों के हैं, जहाँ उनके बड़े परिवार हैं उनसे यह सुनने में आया है कि अब उनका परिवार यहीं शहर में रहता है, जिसमें वे सिर्फ 3-4 सदस्य हैं (स्वयं, पत्नी और बच्चे)।

संकुचित होते परिवार के इस स्वरूप का समाज पर यह प्रभाव पड़ा है कि आज तमाम सुख सुविधाओं, उच्च स्कूली शिक्षा, सब कुछ होने के बावजूद जीवन में न कोई संस्कार रह गए हैं और न कोई नैतिक मूल्य। अकेलापन, सूनापन,

डर, भय, हजारों बीमारियों, बुरी लत ने इन सूक्ष्म परिवारों को घेर लिया है। इन सभी समस्याओं को उनके पास उपस्थित संसाधन कदापि दूर नहीं कर सकते। ऐसे सूक्ष्म परिवारों में पले-बढ़े बच्चों, पुरुषों, महिलाओं में न कुछ करने की इच्छाशक्ति होती है और न ही सहनशक्ति। बात-बात पर झगड़े हो जाते हैं, विश्वास नाम मात्र का रह गया है। स्वार्थवादी प्रवृत्ति चरम पर पहुँच गई है। व्यक्तिवाद बढ़ रहा है और भावनाएं कम हो रही हैं। मानव यांत्रिक होता जा रहा है। महत्वाकांक्षा, उपयोगितावाद और सुखवाद चरम पर हैं।

आज हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि जहाँ से हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। महत्वहीन होते शब्द 'संयुक्त-परिवार' को वापस गढ़ने और समृद्ध बनाने की जरूरत है क्योंकि हर दृष्टि से संयुक्त परिवार हमारे लिए लाभदायक है। इसमें खुश रहने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के बारे में सोचना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को अन्य सदस्यों को इज्जत देनी चाहिये। कोई भी कार्य में उनकी भी सहमति होनी चाहिए। हम संयुक्त परिवार में खुशहाली से रह सकते हैं। इस तरह का परिवार हमारे जीवन को सुधारने और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

"परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाया से बड़ा कोई विश्व नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं"।



“देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली
हिन्दी राष्ट्र भाषा पद की अधिकारिणी है”

- सुभाष चन्द्र 'बोस'

स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका

—कविता शर्मा



जिस को न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है
वह नर नहीं, नर-पशु निरा है और मृतक समान है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नवीन जोश का संचार कर दिया था। राजभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता दी गई उसका प्रमुख कारण आजादी के संपूर्ण महायज्ञ में हिंदी का योगदान ही है। अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी के तौर पर विख्यात मंगल पांडे ने जब पहली बार 'मारो फिरंगी को' का नारा दिया था तभी से ही हिंदी भाषा की भूमिका भी प्रखर हो गयी थी। वास्तव में आजादी की पूरी लड़ाई में पूरे देश को एकजुट करने के लिए किसी न किसी एक भाषा की आवश्यकता थी तथा हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा में यह सामर्थ्य नहीं था।

हिंदी के महत्व को पहचानते हुए बंगाल के श्री केशवचंद्र सेन ने 1873 में अपने पत्र 'सुलभ समाचार' (बंगला) में लिखा "यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय क्या है? इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही यह (एकता) शीघ्र ही संपन्न हो सकती है।" इनके आलावा अन्य अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने प्रान्तीयता की भावना से ऊपर उठकर मुक्त कंठ से हिंदी का समर्थन किया।

श्री केशवचंद्र सेन के विचारों के अनुरूप ही "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा" का नारा देने वाले नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी का समर्थन करते हुए 'नागरी प्रचारिणी' पत्रिका में उन्होंने लिखा था "यह आन्दोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आन्दोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आन्दोलन कहूंगा, क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है, अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए एक समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है"।

महात्मा गाँधी जी देश के लिए हिंदी के महत्व से भली-भांति परिचित थे। उन्होंने प्रारंभ से हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनाने का अथक प्रयत्न किया। उनका अनुभव था कि "पराधीनता चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो या भाषाई क्षेत्र की, दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं।" गाँधी जी की प्रेरणा से 1925 में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस का, कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज हिन्दुस्तानी में चलाया जाएगा। इसी का परिणाम था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन भरतपुर में हुआ।

'पंजाब केसरी' लाला लाजपतराय एक महान देशभक्त शिक्षाशास्त्री ही नहीं, एक प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्हीं के प्रयत्नों से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हिंदी को स्थान मिला। श्री मदनमोहन मालवीय जी का नाम हिंदी प्रचारकों में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी के प्रचार-प्रसार और हिंदी के स्वरूप निर्धारण दोनों ही दृष्टियों से उन्होंने हिंदी की भरपूर सेवा की। यह उन्हीं का प्रोत्साहन, समर्थन और प्रेरणा थी जिसके परिणामस्वरूप हिंदी प्रशासन एवं राजकाज की भाषा बनी। कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में श्री मालवीय जी के भाषण से प्रभावित होकर कालाकांकर के राजा ने उन्हें अपने हिंदी दैनिक 'हिंदुस्तान' का संपादक बनाया और 1910 में प्रयाग से 'मर्यादा' नामक हिंदी पत्रिका तथा 1933 से 'सनातन धर्म' नामक हिंदी पत्र भी प्रारंभ हुआ।

राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपना सारा जीवन हिंदी की सेवा और हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में अर्पित किया। इन्होंने 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी के नागरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। टंडन जी हिंदी को देश की आजादी से पहले 'आजादी प्राप्त करने का' तथा आजादी के बाद 'आजादी बनाए रखने का' साधन मानते थे।

राष्ट्रीय नेताओं में देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की हिंदी सेवा से कौन परिचित नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हिंदी को उचित स्थान दिलाने का श्रेय इनको ही है। भारतीय संविधान में वर्णित भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक कोष तैयार करवाने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ही किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल में सरकारी स्तर पर हिंदी को मान्यता मिली।

“यदि भारत में प्रजा का राज चलाना है, तो वह जनता की भाषा में चलाना होगा।” काका कालेलकर जी के ये शब्द देश की आजादी के लिए हिंदी के स्थान को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के वे कर्णधार रहे। वर्धा में जब हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना हुई तो इन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए पुरे देश का भ्रमण किया। अपने इसी लक्ष्य पर अडिग रहते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार में लगा दिया। भारतीय संविधान सभा की बहस के दौरान श्री गोबिंद दास जी ने कहा था “मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता हूँ कि संविधान मौलिक रूप से हमारी मुख्य भाषा में हो, अंग्रेजी में नहीं जिससे हमारे भावी न्यायाधीश अपनी भाषा पर निर्भर हो सकें, विदेशी भाषा पर नहीं”।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का अवर्णनीय योगदान रहा है। बिना भाषा या भाषाओं के कोई भी देश गूंगा होता है। उस समय केवल हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी जो संपूर्ण देश की आवाज बनी।



हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती

कार्यालयीन गतिविधियाँ



स्वतंत्रता दिवस के दौरान कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी गीत गायन करते हुए



स्वतंत्रता दिवस के दौरान श्री होवैदा अब्बास, प्रधान महालेखाकार को पौधा भेंट करते हुए

कार्यालयीन गतिविधियाँ



नराकास के तत्वावधान में इस कार्यालय में आयोजित हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कर्मचारी/अधिकारी



प्रधान महालेखाकार हिंदी पत्रिका "अंकुर" का लोकार्पण करते हुए

कार्यालयीन गतिविधियाँ



हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रधान महालेखाकार दीप प्रज्वलन करते हुए।



हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी पत्रिका "अंकुर" का लोकार्पण करते हुए

कार्यालयीन गतिविधियाँ



हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रधान महालेखाकार बाल चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित करते हुए।



हिंदी पखवाड़े के दौरान प्रधान महालेखाकार निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित करते हुए।

The background is a complex, abstract composition of various colors including deep reds, oranges, yellows, blues, and purples. The colors are applied in a way that suggests thick, expressive brushstrokes or perhaps a digital painting style, creating a sense of movement and depth. The central text is a stylized Devanagari word, likely 'कविता' (Kavita), which means 'poetry' or 'poem'. The text is rendered in a bold, black font with a prominent white outline, making it stand out against the busy, colorful background.

कविता

फिर भी हिम्मत कुछ यूँ है मुझमें...

—अंकित कुमार



वक्त के साये में जैसे — जैसे उम्र ढल रही है,
दफन ख्वाबों की चिंगारी फिर से जलने लगी है।

सुना था वक्त एक वक्त पर हर घाव भर देता है,
पर, उसकी कमी पहले से ज्यादा खलने लगी है।

बेवजह ही खुद को जिंदादिल समझ रहा था मैं,
खुद को खोजने निकला तो शिकस्त दिखने लगी है।

एक जमाना था, हर महफिल की रौनक थी हमसे,
अब तो मेरी हस्ती भी धीरे-धीरे मिटने लगी है।

करीने से समेटकर रखा था एक मुद्दत से खुद को,
अब, वक्त के थपेड़ों से ये जिंदगी उधड़ने लगी है।

इस गमगीन माहौल के अंधेरों से लड़ने के लिए
मैंने "लौ" सिगरेट की ही सही मगर जला रखी है।

सोचता हूँ एक बार फिर उसी उमंग से लहराऊँ मैं,
मगर कैसे...?
उम्र के इस पड़ाव में तो बालों में भी सफेदी दिखने लगी है।

फिर भी हिम्मत कुछ यूँ है मुझमें...
पार कर जाऊँगा नौका चीरकर इन गमों को,
दूँढ लाऊँगा 'उजाले', देने हंसी इन लबों को।



अनमोल जीवन

—गणेश कुमार मीना



जीवन क्या है ये आज तक समझ नहीं आया
समझ सिर्फ इतना आया कि जो आया वह कल नहीं आया ।

कहाँ से आये, कहाँ जायेंगे इसका कोई हिसाब नहीं
परन्तु आज जहाँ कहीं भी हैं, वो भी कम खिताब नहीं ।

खुश रहना सीख लो, यही जीवन का सार है
गर दुःख को गले लगाया, तो वो जीवन बेकार है ।

कहते हैं भगवान की सबसे खूबसूरत कृति है मानव जीवन
किस्मत के तो धनी हैं हम, मिला हमें जो इतना अनमोल जीवन ।

ईर्ष्या, द्वेष, बैर—भाव, ये सब हैं बेकार की बात
सुखी जीवन के हैं राज प्यार, प्रेम और मेल—मिलाप ।

जीवन अच्छा हो या बुरा, इस पर हमारा है अधिकार
सफल बनाकर इस जीवन को प्राप्त कर लो ये अधिकार ।



एक था कोविड

—विनय कुमार गर्ग



जाने वह कैसी घड़ी आई थी
मुश्किलों की जैसे झड़ी छाई थी
जीता था हर इंसान डरता—डरता
हौंसलों को उसके चिंता खाए थी

नजदीकियाँ सारी काफूर हुई थी
दूरियाँ ही मानो प्राणाधार हुई थी
ना था चैन—ओ—अमन किसी भी मुल्क को
मानव के अस्तित्व की मानो जंग हुई थी

बंद काम—धंधे और घर में कैद हुई थी
कहीं रोजी और रोटि पर भी जंग हुई थी
थी कैसी चुनौती और कैसी परीक्षा
धैर्य की डोर भी, कुछ नाजुक हुई थी

हाल बुरा था ना सिर्फ बीमारों का
लाशों की ऐसी दुर्गति हुई थी
अपनों का कोई साथ नहीं था
लाशें निपटारे को जहाँ—तहां पड़ी हुई थी
टूटा भ्रम, दौलत वालों का भी
जिनकी सोच में दीमक लगी थी
पैसा रहते ना कुछ बिगड़ेगा उनका
पर कोविड ने ना एक सुनी थी

क्या था गोरा, क्या था काला,
क्या था जीजा, क्या था साला,
प्रतिपल लाखों बचपन हुए अनाथ
मरने वालों में जैसे होड़ लगी थी

मैं नेता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ
मैं प्रशासक, मैं एक्टर हूँ
बड़े—बड़े भी बच ना पाए
कोविड ने ऐसी रफ्तार धरी थी
बद—से—बदतर दुनिया की गत थी
कहीं ऑक्सीजन तो कहीं दवा कम थी
गिद्ध बने इंसानों की, क्या गिनती कम थी ?
पैसे की ज्यादा, पर जिंदगी की कीमत कम थी

इन लालची—गिद्धों की बस्तियों में
बस कुछ इन्सानी—फरिश्तों की इनायत थी
जब नोच रहे थे, ये गिद्ध लोगों को
फरिश्तों की जिंदगियाँ दांव पर लगी थी

जब होड़ मची थी लूट—पाट की
जिन्दगी की उम्मीदें टूट रही थी
तब मानवता के रहनुमाओं से ही
तम में उजाले की किरण दिख रही थी

कुछ लोग घरों में लगे हुए थे
सुन्दर मानवता को बचाने में
खुद के पेट को वो काट रहे थे
भूखों को भोजन पहुंचाने में

जब दामन ना छोड़ा उम्मीदों का
तब सबकी दुआ कुबूल हुई
सूखा मुश्किलों का यह दलदल भी
इंसान की फिर से फतह हुई

कहते थे यह देश है राम—भरोसे
फिर उसी राम ने सुनी पुकार
अपने ही वैज्ञानिकों के मंथन से
टीके से निकला कोविड उपचार

बहुत हुआ अब दुआ करें सब
अब ना हो ऐसी कुदरत की मार
कुछ हम सुधरें, कुछ तुम बदलो
फिर ना हो महामारी की हाहाकार ।

दीपावली के दीये

—आशीष देवगण



दीपावली आई, दीये जलाए।
त्योहार मनाया, खुशियाँ बांटी।

दीये जले, उजाला किया।
कुछ दीयों में तेल बच गया।

दीये उठाने वाले जरा संभलकर।
तेल गिरा तो कपड़े खराब हो जायेंगे।

लोग तुम्हारा उजाला भूल जायेंगे।
उनकी गलती की सजा तुम्हें देंगे।

हो सकता है पटक दें, तोड़ दें।
हो सके तो तेल किसी को देना।

किसी के घर दीये फिर से उजाला कर दें।
पर आदमी इस्तेमाल कर भूल जाता है।

अगले साल फिर दीपावली आएगी।
फिर तेल से भरे दीये जलेंगे।

पर आदमी की आदत नहीं बदलेगी।



पीठ पे तेरी बस्ता हो

—मनीष कुमार



चाहे हालात कितने भी खस्ता हों
पेट हो खाली भले
मगर पीठ पे तेरी बस्ता हो ।
ख्वाब हो आँखों में
और किताब भी हो हाथों में
रात ना हो दिवाली भले
मगर मन सदा ही जगता हो...
बारीश में छत टपकती हो
बाहर भी गरमी बरसती हो
पीठ—पेट मुड़ जाए भले
मगर सीधा तेरा रस्ता हो...
दर्द बयां न कर
लेकर चल इसको सीने में
कुछ खोकर पाएगा
तब मजा आएगा जीने में
पाँव नंगे हो, मगर मजबूत तेरे कंधे हों
और वजूद तेरा हंसता हो

मत सोच के रात अकेली है
चाँद भी उगजेगा, भोर भी होगा
और वो दिन भी आएगा
जब वक्त भी तेरी चाल चले
ज्यों चातक—नीर बरसता हो...



नारी का सम्मान

—एकता

नारी का सम्मान अगर नहीं जानते
तो धिक्कार तुम्हारे जीवन पर
दरअसल परवरिश दिखती है तुम्हारी..
नजरो से ही नोचनें वालों
एक्सरे करते हुए अपनी आत्मा से
जरा पूछ लिया करो जानते नहीं क्या
हर नारी में सती, पार्वती का रूप है
ना जान पाए, अगर तुम इन बातों को
तो धिक्कार तुम्हारे जीवन पर।



बस अपने कर्मों का कुछ ध्यान रखो
मनुष्य रूप में अगर जी गए पशु बन कर
तो धिक्कार तुम्हारे जीवन पर।

छठी इन्द्री के रूप में
ईश्वर सदा उसके साथ है
ये ना सोचो जानती नहीं है
बस चुप है अपनी अच्छाई से
ओछी बातों का तंज वो सुनती है
नहीं जान पाये तुम अगर इन बातों को
तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर।

मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ
तंज खुद के लिए सुनती है
अपनी सोच को जरा उठाओ
रूढ़िवादी बातों से ना हमें सताओ
अबला नहीं, वो रणचंडी भी है
सबला भी है वो प्रतिद्वंदी भी है
शर्म सी आती है समाज का ये रूप देख कर
कि कविता लिखनी पड़ी इन बातों के लिए
अपनी आत्मा की आवाज सुनो
न गलत — गलत हमारे साथ व्यवहार करो



राहों में सुकूँ मिल ही जाएगा

—अंकित कुमार



तू चलता चल राही
राहों में सुकूँ मिल ही जाएगा

राहों में कितने भी कांटे हों,
मन कितना भी क्यों ना व्यथित हो,
चाहे घोर हताशा के घेरे हों,
ये तम के बादल कितने भी गहरे हों
पर, जिन्दा रखना उम्मीद तेरी,

मन कितना भी क्यों ना विचलित हो,
रो लेना चाहे जब कुछ सहन ना हो,
पर, मांजते रहना खुद को सदा, ताकि
जीवन के गलियारे में ना तम के बादल हों,

पा लेना मुकाम चाहे कितने भी ऊँचे—ऊँचे
पर, शब्दों में तेरे कभी ना तल्खी हो,
बुझ रहे हैं सब दिए तो बुझने दे
बस, तेरे “मन की लौ” ना हल्की हो,
कर मेहनत और रख हौंसले बुलंद
सिर्फ सोच मत कि कुछ करिश्मा हो
चालाक है दुनिया, घबरा मत
तू रख शिखर पर अपने सीधेपन को

वक्त, वजूद सब सुधरेगा, बस
दिल में तेरे मोकापरस्ती ना बसती हो
जब मिलो कभी तो ना नजरें झुकें
दुश्मनी भी हो तो फिर उसूलों वाली हो
टूटना, बिखरना तो दस्तूर है, लेकिन
फिर संभलने की आस हमेशा बाकी हो,
लड़कर खुद से खुद को कुछ यूँ तराश,
कि एक नई पहचान दे पाए अपनी शख्शियत को,
उतार—चढ़ाव जीवन के कटू सत्य हैं
इस दौर का ना तू कैदी हो
मन में भर एक हूँकार नई, ताकि
इस अंधियारे का तू भेदी हों
तू चलता चल राही
राहों में सुकूँ मिल ही जाएगा





कहानी

कॉलेज के दोस्त: एक मुलाकात 30 साल बाद

-आशीष देवगण

पाशा (पी): नमस्कार, क्या मेरी बात श्री रघु, ग्राम मधुपुर के सरपंच, फतेहपुर सीकरी से हो रही है?

श्री रघु ने उत्तर दिया : जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ।

पी: बहुत बढ़िया। दरअसल, मैं अपने कॉलेज लाइफ के दोस्त 'श्री' को ढूँढ रहा हूँ। राजेश मिश्रा, वह आपके गांव का मूल निवासी है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री कखग और भाई स्वर्गीय श्री यरव है। क्या आपके पास उसका कोई फोन नंबर है? अच्छा मुझे जांचने दो। लेकिन मुझे आपको सूचित करना होगा कि श्री राजेश भी नहीं रहे।



पी: ओह, बहुत दुःख की बात है। कृपया उनके परिवार का संपर्क नंबर खोजने में मेरी मदद करें।

दो दिन बाद।

पी: नमस्कार श्री रघु, क्या आप राजेश के परिवार का संपर्क ढूँढ पाए? हाँ, कृपया राजेश की भाभी का मोबाइल नंबर नोट कर लें। वह अब अपने बेटे के साथ जयपुर में रह रही है। पी: बहुत बहुत धन्यवाद, श्री रघुजी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

पी: नमस्कार, मैं पाशा बोल रहा हूँ, मैं राजेश का दोस्त हूँ। मैं कॉलेज के दिनों में आपके घर आया करता था। मैं, केपी, पारस, परम, डीएस दोस्त थे। मैं और परम कैंट क्षेत्र से आते थे।

भाभी जी (बी): नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं आपको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे याद है डीएस, पारस, परम। अच्छा, अब आप भी याद आ गए। आप कैसे हैं और आप कहाँ हैं? आपको मेरा नंबर कैसे मिला?

पी: भगवान का शुक्र है, आखिरकार आप मिल गये। हम आप सभी को पिछले चार साल से ढूँढ रहे हैं। पारस का शुक्र है कि उन्हें आज भी आपके ससुर और भैया के नाम के साथ आपके गांव और तहसील का नाम याद है।

बी: लेकिन हम गांव में नहीं हैं तो आपको मेरा नंबर कैसे मिला।

पी: दरअसल, जब पारस ने मुझे आपके ससुर का नाम, भैया का नाम, गांव और तहसील का नाम बताया। मैंने इंटरनेट पर आपके गांव का विवरण खोजने की कोशिश की। इंटरनेट पर मुझे आपके गांव के सरपंच का विवरण और संपर्क नंबर मिला और उनसे संपर्क किया। मेरे विवरण की पुष्टि करने के बाद, उसने मुझे केवल आपका नंबर दिया। परिवार में सब कैसे हैं? मैं भैया और राजेश के बारे में जानता हूं। सरपंच ने मुझे उनके बारे में बताया। आशी, नेति, वीनू और अन्य अब कितने साल के हैं और क्या कर रहे हैं?

बी: मैं अब वीनू के साथ हूं। आशी और सभी शादीशुदा और सेटल हैं। आशी, नेति और अन्य सरकारी शिक्षक हैं। वीनू प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर है। आप कैसे हैं और आप कहां बस गए हैं और अब आप क्या कर रहे हैं?

पी: हाहा, मैं भी शादीशुदा हूं और पिंजौर में बस गया हूं। मेरे दो बेटे हैं। मैं केंद्र सरकार के साथ सेवारत हूं और यहां तैनात हूं। क्या मैं वीनू से बात कर सकता हूं और क्या आप मुझे आशी और अन्य लोगों का मोबाइल नंबर दे सकते हैं?

बी: हाँ वीनू यहाँ है लेकिन वर्तमान में कुछ कार्यालय के लिए ऑनलाइन काम कर रहा है। वह आपको खुद फोन करेगा। मैं आपको दूसरे का मोबाइल नंबर भेज दूंगी। ठीक है ध्यान रखें और संपर्क में रहें।

पी: बहुत बहुत धन्यवाद भाभी।

कॉलेज के आखिरी दोस्त के परिवार के संपर्क में आकर बहुत धन्य महसूस कर रहा था जो आज तक लापता था। अब 30 साल बाद कॉलेज के दोस्त साथ हैं।



मतृभाषा एवं राजभाषा के समन्वय में ही
भारत की प्रगति समाहित है।

अमित शाह,

माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

कार्यालय समाचार

खेल समाचार एवं अन्य गतिविधियां

- ❖ श्री परविंदर सिंह, हॉकी खिलाड़ी ने 04 से 22 जुलाई 2022 तक बेंगलोर में सी.ए.जी. हॉकी टीम के प्रिपरेटरी/कंडिशनिंग कैंप में भाग लिया।
- ❖ श्री बीर सिंह, लेखाकार ने दिनांक 12-08-2022 को तियां तीज दीया, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।
- ❖ इस कार्यालय के प्रांगण में 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें श्री होवैदा अब्बास, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी, पंजाब एवं यू.टी. चंडीगढ़) ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तत्पश्चात इस कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र/नगद पुरस्कार दिए गए।
- ❖ दिनांक 05-08-2022 को सरकारी अस्पताल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ द्वारा इस कार्यालय में कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोस लगवाई गई, जिसमें कार्यालय के 163 अधिकारियों/कर्मचारियों ने डोस लगवाई।
- ❖ ए. जी. पंजाब की संयुक्त फुटबॉल टीम ने दिनांक 01.04.2022 से 03.04.2022 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 में भाग लिया।
- ❖ ए. जी. पंजाब की संयुक्त फुटबॉल टीम ने दिनांक 02.04.2022 से 04.04.2022 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) हरियाणा द्वारा आयोजित उत्तर क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता 2021-22 में भाग लिया।
- ❖ इस कार्यालय के श्री राकेश कुमार, सहायक पर्यवेक्षक और श्री रविन्द्र सिंह रावत, लेखाकार ने दिनांक 11.04.2022 से 13.04.2022 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में उत्तर क्षेत्रीय कैरम प्रतियोगिता में भाग लिया।
- ❖ श्री रणजोध सिंह और श्री गुरदीप सिंह बुटर, हॉकी खिलाड़ियों ने अपने पेरेंट कार्यालय (AG WB) की तरफ से भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग ईस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता 2021-22 में दिनांक 01.04.2022 से 02.04.2022 तक कोलकाता तथा दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2022 तक चेन्नई में आयोजित IA&AD इंटर जोनल हॉकी टूर्नामेंट में भाग लिया।
- ❖ श्री दिनेश मान, हॉकी खिलाड़ी ने दिनांक 05.05.2022 से 15.05.2022 तक गोवा में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नैशनल चैंपियनशिप में तथा दिनांक 17.05.2022 से 29.05.2022 तक कोविलपट्टी (तमिलनाडु) में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर नैशनल चैंपियनशिप कोच के स्तर पर भाग लिया।
- ❖ इस कार्यालय के श्री गौरव देसवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी में दिनांक 23 से 29 मई 2022 तक दिल्ली में दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप 2022 में भाग लिया।
- ❖ श्री राहुल मल्होत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी ने दिनांक 24.06.2022 से 28.06.2022 तक आगरा, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021-22 में भाग लिया।
- ❖ इस कार्यालय के हॉकी खिलाड़ी श्री संदीप सिंह, श्री जगरूप सिंह और श्री ध्यान सिंह, वरिष्ठ लेखाकारों ने दिनांक 21.06.2022 से 30.06.2022 तक भोपाल, मध्यप्रदेश में ऑल इंडिया सिविल सर्विस हॉकी टूर्नामेंट 2021-22 में भाग लिया।

- ❖ श्री रणदीप सिंह और श्री विशाल शर्मा ने दिनांक 08 से 20 जून 2022 तक भुवनेश्वर में सी.ए.जी फुटबॉल टीम के सिलेक्शन ट्रायल और प्रेक्टिस मैचों में भाग लिया तथा श्री सोरव रूटेला, फुटबॉल खिलाड़ी ने दिनांक 08 से 14 जून 2022 तक भुवनेश्वर में सी.ए.जी फुटबॉल टीम के सिलेक्शन ट्रायल में भाग लिया ।
- ❖ श्री राहुल मल्होत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी ने दिनांक 24.06.2022 से 28.06.2022 तक आगरा, उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021-22 में भाग लिया ।
- ❖ श्री गौरव देसवाल और श्री कशिश, बैडमिंटन खिलाड़ियों ने दिनांक 01.07.2022 से 05.07.2022 तक नई दिल्ली में सी.ए.जी बैडमिंटन टीम के सिलेक्शन ट्रायल में भाग लिया ।
- ❖ श्री कशिश, बैडमिंटन खिलाड़ी ने दिनांक 13 से 18 सितम्बर 2022 तक नागपुर में महा मेट्रो इंटरनैशनल बैडमिंटन चैलेंज में तथा दिनांक 20 से 25 सितंबर 2022 तक रायतम (छत्तीसगढ़) में सी.एम ट्रॉफी इंडिया इंटरनैशनल चैलेंज -2022 में भाग लिया ।
- ❖ श्री परविंदर सिंह, लेखाकार हॉकी खिलाड़ी ने दिनांक 04.07.2022 से 22.07.2022 तक बेंगलोर में सी.ए.जी हॉकी टीम के प्रिपरेटरी / कंडीशनिंग कैप में भाग लिया ।
- ❖ श्री गुरदीप सिंह, हॉकी खिलाड़ी ने दिनांक 17 से 28 मई 2022 तक कोविलपट्टी (तमिलनाडु) में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर मैन नैशनल चैंपियनशिप में टीम मैनेजर के स्तर पर भाग लिया ।



अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति (01.04.2022 से 30.09.2022)

क्र. सं.	सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पद श्री / श्रीमती	पदोन्नति	तिथि	टिप्पणी
1.	राहुल कुमार, लेखाकार	-	05-08-2022	-
2.	करमजीत कौर, लेखाकार	-	05-08-2022	-
3.	जतिंदर गुप्ता, लिपिक	-	05-08-2022	-
4.	सुरजीत सिंह — 7, सहायक पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक	01-04-2022	-
5.	तारा रानी, सहायक पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक	01-04-2022	-
6.	रंज्जु महाजन, सहायक पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक	01-07-2022	-
7.	मोहन सिंह कंडा, सहायक पर्यवेक्षक	पर्यवेक्षक	01-07-2022	-
8.	प्रेम लता, वरिष्ठ लेखाकार	सहायक पर्यवेक्षक	01-07-2022	-
9.	उरमिंदर पाल सिंह, वरिष्ठ लेखाकार	सहायक पर्यवेक्षक	01-07-2022	-
10.	सुनिल कुमार दृ-II, वरिष्ठ लेखाकार	सहायक पर्यवेक्षक	01-07-2022	-
11.	आशीष देवगण, वरिष्ठ लेखाकार	सहायक पर्यवेक्षक	01-07-2022	-
12.	रूप लाल, वरिष्ठ लेखाकार	सहायक पर्यवेक्षक	01-09-2022	-
13.	हरप्रीत सिंह, सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ)	स. ले. अ.	11-04-2022	-



अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (01.04.2022 से 30.09.2022)

क. सं.	सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पद श्री / श्रीमती	सेवानिवृत्ति की तिथि	टिप्पणी
1.	शंकर भारती, सहायक पर्यवेक्षक	30-04-2022	-
2	राज कुमार-5, सहायक पर्यवेक्षक	30-04-2022	-
3.	देश राज, एम.टी.एस.	31-05-2022	-
4.	राजबाला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	30-06-2022	-
5.	प्रवीण भूटानी, पर्यवेक्षक	30-06-2022	-
6.	अशोक कुमार गुप्ता, पर्यवेक्षक	30-06-2022	-
7.	मोहिंदर सिंह, एम.टी.एस.	30-06-2022	-
8.	अनिल कुमार, एम.टी.एस.	03-08-2022	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
9.	सरवन लाल कटोच, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31-08-2022	-
10.	रवि कुमार सोबती, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31-08-2022	-
11.	राजिन्द्र सिंह-II, सहायक पर्यवेक्षक	31-08-2022	-
12.	करनैल सिंह, एम.टी.एस.	31-08-2022	-
13.	किरण बाला शर्मा, पर्यवेक्षक	30-09-2021	-
14.	जगदीश चन्द्र, सहायक पर्यवेक्षक	30-09-2022	-

सभी सेवानिवृत्त अग्रज साथियों की दीर्घायु तथा उनके सुखी एवं स्वस्थ सेवानिवृत्त जीवन के लिए "अंकुर" परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।



हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, सूरत

अति सुन्दर महासमागम और मनोहर वातावरण में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, अन्य विशिष्ट अतिथियों, हजारों की संख्या में मौजूद अधिकारियों एवं हिंदी प्रेमियों की उपस्थिति में हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। उक्त सम्मेलन के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने हिंदी शब्द सिंधु (संस्करण-1) एवं अनुवाद टूल कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण किया।



ध्वजारोहण





जलियाँवाला बाग, अमृतसर



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजभाषा कार्यान्वयन समिति
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ - 160017